न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक :- अ/नि./1546/दू.अ./17/1554

तारीख पेशी :-

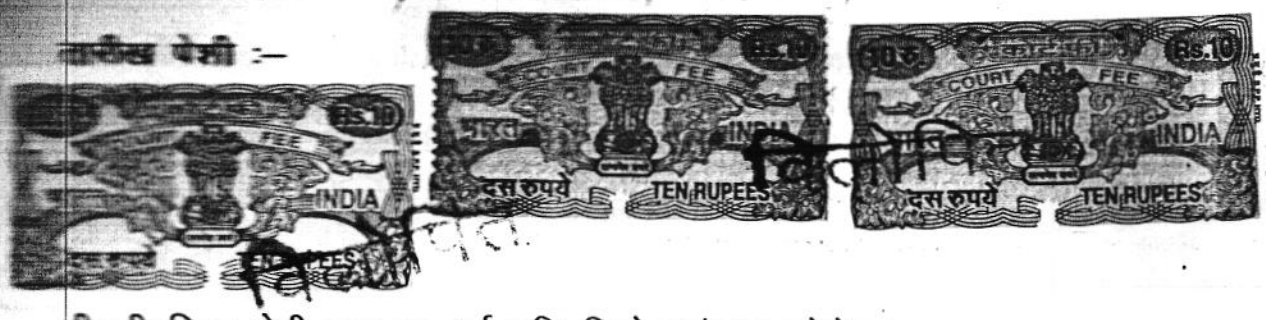

श्रीमती प्रिया देवी उम्र 42 वर्ष पति विनोद कुमार डोडेजा,
निवासी– 302, सिंधी केंप, गुरूनानक वार्ड दमोह
तहसील व जिला दमोह (म.प्र.) ——— रिवीजनकर्ता

बनाम्

मनोहर पाठक पिता श्री प्रीतम पाठक,
निवासी– सिविल वार्ड नं. 2 दमोह तह. व जिला दमोह (म.प्र.)

——— उत्तरवादी

आज दि. 31-5-17 को

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 (रिवीजन) म.प्र.भू.राजस्व संहिता

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
31/5/17

श्रीमान् राजस्व निरीक्षक दमोह–2 द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक– 9अ/12 वर्ष 2015–16 में संपादित सीमांकन दिनांक– 16/05/2016 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर उदभूत ।

महोदय,

रिवीजनकर्ता प्रार्थना करता है :–

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय दमोह–2 के समक्ष उत्तरवादी/आवेदक ने इस आशय का एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि मौजा चौपरा रैयतवारी पटवारी हल्का नंबर 16 के खसरा नंबर 16/5/ढ के रकवा 0.014 हे0 याने कि 30 X 50 = 1500 वर्गफुट का मौके पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित दिशाओं के आधार पर सीमाकंन किया जावे और उसके प्लाट को चिन्हित किया जावे । राजस्व निरीक्षक महोदय ने दिनांक– 18/01/2016 को उक्त प्रकरण शीर्ष में वर्णित मद में पंजीबद्ध किया एवं यह निर्देशित किया कि संयुक्त पटवारी दल नियुक्त किया जाकर प्रतिवेदन लिया जावे और अंत में स्वयं राजस्व निरीक्षक महोदय ने करीबन 4 माह पश्चात् दिनांक– 14/05/2016 को उक्त सीमाकंन को संपादित किया एवं दिनांक– 16/05/2016 को श्रीमान तहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/1554

श्रीमती प्रिया देवी विरूद्ध मनोहर पाठक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक दमोह–2, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 09/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–05–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 02–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 01.3.19 सदस्य	